भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 526

23 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

पोषण-समृद्ध खाद्यान्न की खरीद

526. श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और संबद्ध खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पोषण-समृद्ध खाद्य पदार्थों जैसे दालें, श्रीअन्न और अन्य प्रोटीन व रेशे युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में योजना-वार और वर्ष-वार ऐसे पोषण-समृद्ध खाद्यान्न की कितनी मात्रा खरीदी और वितरित की गई;

(ग) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ में विशेषकर आदिवासी या दूरदराज के क्षेत्रों में, अंडे, दूध और दालों जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं या महंगे प्रोटीन स्रोतों वाली अर्थात् वस्तुओं की खरीद, भंडारण या वितरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त राज्य में लाभार्थियों के लिए पोषण-समृद्ध खाद्यान्नों की उपलब्धता और पहुँच में सुधार के लिए अद्यतन पोषण और आहार मानकों के अनुरूप क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): मिलेट्स (श्री अन्न), जिन्हें आमतौर पर पोषक अनाज के रूप में जाना जाता है, पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का एक भाग हैं। मिलेट्स (श्री अन्न) का आबंटन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जाता है। दिनांक 01 जनवरी 2024 से, उपरोक्त आबंटन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत निःशुल्क किया जा रहा है।

...2/-

भारत सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, मोटे अनाजों (ज्वार, मिलेट्स (श्री अन्न), मक्का और रागी आदि) और राज्यों/एफसीआई द्वारा खरीदे गए 6 छोटे मिलेट्स(श्री अन्न) के आबंटन, वितरण और निपटान के लिए दिशानिर्देशों द्वारा मोटे अनाजों की खरीद को विनियमित किया जाता है। इन दिशानिर्देशों के तहत, राज्यों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत वितरण के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर विकेंद्रीकृत खरीद पद्धति में इन वस्तुओं की खरीद करने की अनुमति है।

पोषण के स्तर में सुधार के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिलेट्स (श्री अन्न) खरीदने और स्थानीय उपभोग प्राथमिकताओं और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभार्थियों को वितरित करने के लिए एक परामर्शिका जारी की गई है। हालाँकि, यदि कोई कमी वाला राज्य मिलेट्स (श्री अन्न) की माँग करता है, तो उसे अधिशेष खरीद वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को उपलब्ध करवाना है।

भारत सरकार सभी राज्य सरकारों से गेहूं और धान की तरह राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से राज्यों में मिलेट्स (श्री अन्न) की खरीद बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध कर रही है।

भारत सरकार ने मिलेट्स (श्री अन्न) की खरीद और वितरण को बढ़ावा देने तथा राज्यों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्ष 2021-22 में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(i) एनएफएसए/ओडब्ल्यूएस के अंतर्गत मिलेट्स (श्री अन्न) की खरीद और वितरण बढ़ाने के लिए, ज्वार/बाजरा के लिए मिलेट्स (श्री अन्न) की वितरण अवधि/शेल्फ लाइफ को मौजूदा 3 माह से बढ़ाकर 9 माह और रागी के लिए 10 माह कर दिया गया है।

(ii) अधिशेष खरीद वाले राज्यों से घाटे वाले राज्यों तक मिलेट्स (श्री अन्न) के अंतर-राज्यीय परिवहन का प्रावधान शामिल किया गया है, जो एनएफएसए/ओडब्ल्यूएस के अंतर्गत मिलेट्स वितरित करने के इच्छुक हैं।

(iii) गेहूं/चावल की खरीद और वितरण के संबंध में दी जाने वाली अग्रिम सब्सिडी का प्रावधान दिशानिर्देशों में जोड़ा गया है।

...3/-

(iv) केंद्रीय पूल के अंतर्गत खरीदे जाने वाले तीन प्रमुख मिलेट्स (श्री अन्न) अर्थात ज्वार, बाजरा और रागी के अलावा, भारत सरकार ने 2023 से रागी के एमएसपी पर निम्नलिखित लघु/छद्म मिलेट्स की खरीद की भी अनुमति दी है:

लघु मिलेट्स - फॉक्सटेल मिलेट (कांगणी/काकुन), प्रोसो मिलेट (चीना), कोदो मिलेट (कोदो), छोटे मिलेट (कुटकी), स्यूडो मिलेटस (छद्म मिलेट्स) - बक व्हीट (कुट्टू) और अमेरेंथस (चौलाई)

(v) भारत सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर, मिलेट्स (श्री अन्न) की सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है।

भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, घरेलू खरीद के माध्यम से दालों का बफर स्टॉक बनाने और किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु, खरीफ विपणन मौसम 2015-16, रबी विपणन मौसम 2016-17 और खरीफ विपणन मौसम 2016-17 के दौरान, मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के अंतर्गत एफसीआई और अन्य एजेंसियों (नेफेड, एनसीसीएफ, आदि) द्वारा दालों की खरीद की गई। इसके बाद, खरीफ विपणन मौसम 2017-18 से मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दालों की खरीद का कार्य किया गया।

(ख): छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पिछले पाँच वर्षों के दौरान मिलेट्स (श्री अन्न) की कोई खरीद नहीं की गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अनुसार, राज्य में दालों की श्रेणी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केवल चना वितरित किया जाता है। चना केवल संशोधित क्षेत्र विकास अप्रोच (एमएडीए) और राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्राथमिकता वाले परिवारों और अंत्योदय कार्डधारकों को वितरित किया जाता है। चने की पात्रता 5 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति माह की दर से प्रति राशन कार्ड 2 किलोग्राम है। चने की खरीद छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की जाती है। पिछले पाँच वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में चने की खरीद और वितरण की मात्रा वर्षवार निम्नलिखित है:

...4/-

(टन में)

क्र.सं.	वर्ष	खरीद	वितरण
1	2020-21	52201.16	43989.77
2	2021-22	65587.96	61865.91
3	2022-23	49594.91	62350.84
4	2023-24	72364.39	64723.60
5	2024-25	70188.31	66677.07

(ग): एनएफएसए के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को केवल खाद्यान्न अर्थात चावल, गेहूं और मोटा अनाज वितरित किया जाता है।

(घ): पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार पीडीएस के तहत वितरण के अलावा पीएमजीकेएवाई/एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)/गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) और पीएम-पोषण/मध्याह्न भोजन (एमडीएम) में बाजरा - ज्वार, बाजरा और रागी की खरीद और वितरण को बढ़ावा देती है।

इसके अलावा, भारत सरकार के दिनांक 09.08.2023 के दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु मिलेट्स - फॉक्सटेल मिलेट्स (कांगनी/काकुन), प्रोसो मिलेट्स (चीना), कोदो मिलेट (कोदो), छोटे मिलेट (कुटकी) और छद्म मिलेट्स-(बक-व्हीट (कुट्टू) और अमेरंथस (चौलाई)) को भी टीपीडीएस/आईसीडीएस/एमडीएम के तहत वितरण के माध्यम से खरीद और खपत में शामिल किया गया है।

भारत सरकार द्वारा कमजोर आबादी को बेहतर पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से अब अपनी विभिन्न योजनाओं अर्थात पीएमजीकेएवाई और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 से समृद्ध फोर्टिफाइड चावल की खरीद और वितरण किया जाता है।

*****